संख्या-8/2015/ए-1-385/दस-2015-10(20)/2001

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2015

विषय :- ए0सी0/डी0सी0 बिल के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 04-02-2015 एवं 26-02-2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनिस्तारित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं ए0सी0/डी0सी0 बिल को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कई पत्र एवं अनुस्मारक प्रेषित किए गए हैं, परन्तु अभी तक महालेखाकार कार्यालय को उक्त के सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य लेखाशीर्ष-2220, 2235, 3451, 3456, 2245 एवं मुख्य लेखाशीर्ष-2225, 2702, 3452, 2408, 4408 में अनिस्तारित ए0सी0/डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट www.agup.nic.in पर उपलब्ध है।

2- अतः आपसे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट www.agup.nic.in से मुख्य लेखाशीर्ष-2220, 2235, 3451, 3456, 2245 एवं मुख्य लेखाशीर्ष-2225, 2702, 3452, 2408, 4408 में अनिस्तारित ए0सी0/ डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को वाँछित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2015/ए-1-385(1)/दस-2015-10(20)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-एम0सी0(सी0)-1/515/579, दिनांक 04-02-2015 एवं पत्र संख्या-एम0सी0(सी0)-2/677, दिनांक 26-02-2015 के क्रम में।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त विभाग के समस्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।